

भारत सरकार,  
लेखन सामग्री कार्यालय,  
शहरी विकास मंत्रालय,  
3, चर्च लेन, कोलकाता -700 001.

### प्रधिकृत माँगकर्ताओं की लेखन सामग्री भण्डारों की आपूर्ति :-

1. माँगकर्ताओं का वर्गीकरण:- माँगकर्ताओं की तीन वर्गीकरण है, मुख्यत गैर भुगतानी/ मुफ्त, भुगतानी माँगकर्ता और अग्रिम नकद भुगतानी माँगकर्ता, रक्षामंत्रालय संचार, डाक विभाग सुचना और प्रसारण, रेलवे से सम्बन्धित माँगकर्ता भुगतानी वर्ग में आते हैं। और भारत सरकार के उपक्रम उद्दम अग्रिम नकद भुगतानी है। अन्य मंत्रालय के शेष माँगकर्ता गैर भुगतानी वर्ग के हैं।
2. वैध अधिकार:- प्रधिकृत माँगकर्ताओं की अपने से सम्बन्धित वार्षिक माँगपत्र अपेक्षित लेखन सामग्री हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के पूर्व नवम्बर/दिसम्बर माह की अवधि में, भारत सरकार ले0सा0का0 कोलकाता या इसके क्षेत्र0ले0सा0 डिपों में जमा करना पड़ता है, जैसा कि विस्तृत नीचे में है।

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू व कश्मीर राज्य के माँगकर्ता क्षेत्र0ले0सा0 डिपों नेताजी नगर, नई दिल्ली 23 के अधीन आते हैं।

तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल राज्य के माँगकर्ता क्षेत्र0ले0सा0 डिपों, 63, कालेज रोड चेन्नाई 600006 के अधीन आते हैं।

मुम्बाई वी टी और इसके पासवर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के माँगकर्ता क्षेत्र0ले0सा0 डिपों, मुम्बाई के अधीन आते हैं।

देश के शेष माँगकर्ता भा0सा0ले0सा0का0 कोलकाता -700 001 के अधीन आते हैं।  
रक्षा माँगकर्ता:-

माँगकर्ताओं की निर्भरता मिलिटरी फार्म व रेगुलेशन निदेशक (डि0एम0आर0एफ) नयी दिल्ली के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। नई दिल्ली और लेखन सामग्री विभाग डी0एम0एर0एफ के द्वारा निर्भरता पत्र जारी करने के उपरान्त माँगकर्ताओं को लेखन सामग्री की आपूर्ति का प्रबन्ध करता है।

नये माँगकर्ताओं के लेखन सामग्री प्राप्त करने की स्वीकृति और पता परिवर्तन इत्यादि के मामलों में तथा केन्द्रीय सरकार के नये सृजित संगठनों को लेखन सामग्री लेने हेतु भारत स0ले0सा0 कोलकाता या इसके क्षेत्र0ले0सा0डिपों से (सम्बन्धित स्थानों से) संगठन मुख्यालय से सम्बन्धित दस्तावेज के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियंत्रक लेखन सामग्री स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्थान से सम्बन्धित परिवर्तन के मामलों में संगठन नाम इत्यादि मौजूद प्रधिकृत माँगकर्ताओं से आवश्यक सुधार स्वीकृति से सम्बन्धित माँगकर्ताओं से साक्ष्य दस्तावेज के साथ प्राप्त होने पर बनाया जाता है।

#### **भुगतान:-**

एकसस्ताक सप्लाई:- सम्बन्धित भाउचर वार्षिक माँगपत्र को भण्डार आपूर्ति को दर्शाया जाता है और इसका मुल्य सभी माँगकर्ताओं को लेखा भुगतानी चेक/डेमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से वेतन व लेखा कार्यालय (मु0) शहरी विकास मंत्रालय कोलकाता -13 के पक्ष में आवश्यक भुगतान हेतु भेजा जाता है। प्रासांगिक डेमाण्ड/ड्राफ्ट/चेक पुरी तरह भाउचर के साथ भाण्डारण की पावती वित्तीय अधिकारी भारत सरकार ले0सा0का0 कोलकाता 1 के पास भेजनी पड़ती है। गैर भुगतानी/मुफ्त माँगकर्ताओं के मामले में भाउचर की प्रतियां भाण्डारण प्रप्ति की प्रति वित्तीय अधिकारी के पास भेजने की अपेक्षा की जाती है।

अग्रिम नकद भुगतानी माँगकर्ता हेतु आपूर्ति के पक्ष में अग्रिम भुगतानी प्राप्ति माँगकर्ताओं को आपूर्ति से सम्बन्धित अवगत कराना पड़ता है।

**सीधी आपूर्ति:-** लेखन सामग्री भाण्डारण की बल्क आपूर्ति की व्यवस्था आपूर्ति आदेश को प्रस्तुत करने पर फर्म द्वारा माँगकर्ताओं को सीधे पहुँचाता है। एसे मामलों में भुगतान यदि कोई हो तो वेतन व लेखा अधिकारी (मुद्रण) कोलकाता को द्वारा सम्बन्धित माँगकर्ताओं से संग्रह किया जाता है।